ISSN : 2395-4132

THE EXPRESSION

An International Multidisciplinary e-Journal

Bimonthly Refereed & Indexed Open Access e-Journal

The Expression Journal

Impact Factor 3.9

Vol. 5 Issue 2 April 2019

Editor-in-Chief : Dr. Bijender Singh

Email : editor@expressionjournal.com

www.expressionjournal.com

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

समावेशीय विद्याालयों में श्रवण बाधित छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन (जिला हरदोई के विशेष संदर्भ में) : एक शोधात्मक अध्ययन

डॉ.सुरेन्दर सिंह
सहायक अध्यापक–पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरसवॉ
शिक्षा क्षेत्र–भावल खेड़ा, शाहजहॉपुर (उ0प्र0)

::

Abstract

समावेशीय विद्यालयों में बधिर छात्रों की उपलब्धि स्तर का अवलोकन करने से पूर्व हमें शिक्षण विधि के वर्ग एवं बालक वर्ग के आधार पर शिक्षा के प्रकार के विषय में जानना होगा। बालकों को सामान्यतः दो वर्गो में रखा जाता है, जिसमें एक वर्ग सामान्य बालकों का तथा दूसरा वर्ग विशिष्ट बालको का माना जाता है। सामान्यतः विशिष्ट बालकों को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, परन्तु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में भी इन्हें सामान्य छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट छात्रों के लिये वरदान स्वरूप है, जिसमें उन्हें सामान्य छात्रों के अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट, विशेषकर श्रवण बाधित छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन करना है।

Keywords

विशिष्ट क्षमता, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा

::

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

समावेशीय विद्यालयों में श्रवण बाधित छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन (जिला हरदोई के विशेष संदर्भ में) : एक शोधात्मक अध्ययन

डॉ.सुरेन्दर सिंह
सहायक अध्यापक–पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरसवॉ
शिक्षा क्षेत्र–भावल खेड़ा, शाहजहॉपुर (उ0प्र0)

::

बालकों कें वर्ग व शिक्षण विधि के आधार पर शिक्षा को भी चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है।

सामान्य शिक्षा–इसके अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक सामान्य अर्थात शारीरिक तथा मानसिक समस्या से रहित होते हैं।
विशिष्ट शिक्षा–इसके अन्तर्गत आने वाले बालक विशिष्ट अथवा विशेष क्षमता वाले होते हैं, अर्थात बालक किसी न किसी शारीरिक समस्या जैसे–अंध, बधिर, अस्थि बाधित, हारर्मोनल स्राव अथवा मानसिक समस्या जैसे–मंदता, क्रोधी, आदि से ग्रस्त होते हैं।
एकीकृत शिक्षा–एकीकृत शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों वर्गो के छात्रों के शिक्षा एक साथ दी जाती है, परन्तु इनमें विशिष्ट छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
समावेशी शिक्षा–समावेशी शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत दोनों ही वर्गो सामान्य तथा विशेष वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा इन दोनों ही वर्गो के छात्रों पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के ध्यान दिया जाता है।

अतः उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है, कि समावेशी शिक्षा, शिक्षा का वह स्वरूप है जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य दोनों वर्गो के बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बालकों के वर्ग के आधार पर यह स्पष्ट है कि बधिर बालक, विशिष्ट क्षमता प्राप्त अथवा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं।

शोध प्रविधि–शोध कार्य के लिये निम्नलिखित प्रणाली को अपनाया गया–

1. प्रत्येक अक्षम छात्र के अवस्थिक इतिहास को दर्ज करने के लिये मुख्य अन्वेषक द्वारा एक प्रारूप बनाया गया।
2. विद्यालयो में उपकरणों व संसाधनों के सहयोग से डाले गये छात्र पर पड़ने वाले प्रभावी लाभ पर विशेष दृष्टि रखी गयी।
3. अक्षम व सामान्य छात्र के मध्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर सीधे निरीक्षण द्वारा बराबरी के दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया–

   A- सामान्य छात्रों द्वारा अक्षम छात्रों को स्वीकार किया गया है। अथवा नहीं।

   B- सामान्य छात्रों का दृष्टिकोण विनम्र है अथवा नहीं।

   C- जहॉ तक सम्भव हो सका छात्रों की लिखित परीक्षा ली गई।
4. आयाजित ''शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमो'' का इस आधार पर मूल्यांकन किया गया कि वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षक–प्रशिक्षण के प्रकार, अवधि तथा अध्ययन सामग्री का भी आंकलन किया गया।
5. चुने हुये दस विद्यालयों में अक्षम छात्रों को पढाने वाले सभी शिक्षकों का निरीक्षण किया गया।
6. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के निर्धारण के लिये कक्षा उपस्थिति पंजिका का भी आंकलन किया गया।

शोध कार्य के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत विशिष्ट बालकों अथवा अक्षमों हेतु समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.) मूल्यांकन के लिये हरदोई जिले को चुना गया।

हरदोई जिला आई.ई.डी. कार्यक्रमों को 1998–99 ई0 से लागू किये हुये हैं, जिसमें सन् 2000 से अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप की मात्रा बढ़ी है।

जिला परियोजना अधिकारी के परामर्श से हरदोई जिले के तीन ब्लाकों में से दस विद्यालयों को अध्ययन के लिये चुना गया। इसमें जहाँ तक सम्भव हो सका सभी प्रकार की अक्षमतायें जेसे– दृष्टि विंकलाग (वी.आई), श्रवण विकलांगता (एच.आई.), अस्थि विकलांगता (ओ. एच.), मानसिक मन्दित (एम.आई.) और पाठन अक्षमता आदि को सम्मिलित किया गया। इस उद्देश्य के लिये अक्षम छात्रों, उनके शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों विशेषकर माता–पिता से मिलकर इस क्षेत्र में गहन निरीक्षण किया गया तथा विशिष्ट छात्रों के विस्तृत एवं अनौपचारिक साक्षात्कार लिये गये।

प्रत्येक विद्यालय में जहा भी अवलोकन किया गया वहॉ सामान्य रूप से सकारात्मक स्वीकृति प्राप्त हुई तथा सामान्य छात्र अच्छे सहयोगी साबित हुये। समस्त प्रकार की गतिविधियों में अक्षम एवं सामान्य छात्रों की प्रतिभागिता में कोई भेद नहीं था। क्षमता पर यदि ध्यान न दिया जाये तो प्रत्यक बालक समूह का हिस्सा था। विशिष्ट छात्रों में बधिर छात्र भी इस समूह में **अच्छा** महसूस कर रहे थे।

मूल्यांकन के दौरान शिक्षक विशिष्ट छात्रों की विशेष आवश्यकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले पाये गये, इस कार्य में शिक्षा की प्रतिभागिता अनुपम पाई गई। तथा वे छात्रों का शिक्षित करने के लिये उपयुक्त विधि को अपनाते है।

शोध कार्य हेतु चयनित विद्यालयों से आंकड़े एकत्र करने के बाद निम्न परिणाम प्राप्त हुये–

1. 88.66 प्रतिशत शिक्षको को समावेशीय शिक्षा के बधिर छात्रों की आवश्यकताओं का पर्याप्त ज्ञान है।
2. 100 प्रतिशत शिक्षको को बधिर छात्रों को पहचानने का पर्याप्त ज्ञान है।
3. 100 प्रतिशत शिक्षको को व्यक्तिगत श्रवण यन्त्र का पर्याप्त ज्ञान है।
4. 60 प्रतिशत शिक्षको को व्यक्तिगत श्रवण यन्त्रों के विभिन्न भागों का पर्याप्त ज्ञान है।
5. 40 प्रतिशत शिक्षको को श्रवण यन्त्र के सामान्य संचालन का पर्याप्त ज्ञान है।
6. 07 प्रतिशत शिक्षको को व्यक्तिगत श्रवण यन्त्र की समस्या समाधान का पर्याप्त ज्ञान है।
7. 80 प्रतिशत शिक्षको को समावेशीय शिक्षा के बधिर छात्रों को शिक्षित करने का पर्याप्त कौशल है
8. 20 प्रतिशत शिक्षको को बधिर छात्रो के विशिष्ट अनुदेशन में पर्याप्त कौशल है।

9. 80 प्रतिशत शिक्षको को बधिर छात्रों की जांच करने का पर्याप्त कौशल है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि शिक्षको को समावेशीय शिक्षा में बधिर छात्रों को शिक्षित करने का पर्याप्त ज्ञान व कौशल प्राप्त है।

मूल्यांकन के दौरान अक्षम छात्रों का नामांकन 95 प्रतिशत पाया गया। यह अत्यन्त उत्साहजनक है। जहॉ तक उपस्थिति का सम्बन्ध है, अक्षमता के प्रकार व गम्भीरता के आधार पर निम्नलिखित निरीक्षण किया गया।

अक्षमता के प्रकार	उपस्थिति
अस्थि अक्षमता	80.50
श्रवण अक्षमता	71.25
दृष्टि अक्षमता	79.63
मानसिक अक्षमता	74.11

श्रवण बाधिता का स्तर	उपस्थिति दर
किंचित श्रवण बाधिता	79.14
अतिगम्भीर श्रवण बाधिता	69.29

उपरोक्त आंकड़े अच्छी उपस्थिति दर को सूचित करते है।

श्रवण बाधित छात्रों की भाषा एवं संप्रेषण—मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि कक्षा में श्रवण बाधित छात्रो एवं शिक्षको के बीच सम्प्रेषण में प्रमुखतः तीन विधियां प्रयोग में लायी जा रही थी—

1. केवल मौखिक (ओष्ठ पठन)
2. प्रमुख मौखिक ओष्ठ पठन एवं अंगुली शब्द विन्यास
3. एक साथ (यौगिक) सम्प्रेषण अर्थात ओष्ठ पठन, अंगुली विन्यास तथा संकेतन

विभिन्न विधियों से छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने व ग्रहण करने की दर का निरीक्षण किया गया तथा इसके निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किये गये।

1. केवल मौखिक उपागम से श्रवण बाधित छात्रों की समझने की शक्ति का सबसे कम स्तर प्राप्त हुआ।
2. मुख्यतः मौखिक विधि में ओष्ठ पठन तथा अंगुली शब्द विन्यास उपागम में समझने की सारर्थकता उच्च दर प्राप्त हुई।
3. विश्लेषण में यौगिक सम्प्रेषण /श्रवण बाधित समूह ने अन्य दोनों विधियों में उच्चतम सार्थकता प्राप्त हुई।

निष्कर्ष—उपरोक्त शोध पत्र, जिसमें हरदोई जिले के दस विद्यालयों में मूल्यांकन का अध्ययन किया गया, इनमें अक्षमता के प्रकार के आधार पर प्रतिशत तथा सामान्य छात्रों के उपलब्ध स्तर में तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है—

अक्षमता के प्रकार	उपलब्धि का स्तर	उपलब्धि में अन्तर
अस्थि अक्षमता	35.04	06.86
दृष्टि अक्षमता	23.63	18.27
श्रवण अक्षमता	25.06	16.51

सामान्य छात्रों की उपलब्धि के मध्यमान की तुलना में उपर्युक्त तालिका अक्षमतानुसार उपलब्धि को स्पष्ट करती है। यह सत्य है कि अक्षम परिस्थितियां सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं, परन्तु श्रवण अक्षम छात्रों में 10 प्रतिशत से अधिक जो उपलब्धि अन्तर आ रहा है, वह ध्यान देने योग्य है।

अतः उपरोक्त शोधपत्र के विस्तृत वर्णन से स्पष्ट है कि श्रावणिक रूप से अक्षम छात्रो को संसाधन सहायता अधिक दिये जाने की आवश्यकता है।

यदि उपयुक्त वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रमों (आई.ई.पी.) को अपनाया जाये तो उपलब्धि अन्तर घटाया जा सकता है, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है कि यदि उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों

को विकसित कर वैयक्तिक आधार पर अपनाया जाये तो प्रत्येक छात्र तक संसाधित सहायता पहुँचाई जा सकती हैं।

BIBLIOGRAPHY

1- Biklen, D (1889), Redefining Education in D.Biklen, D.L. Ferguson, & A. Ford (Eds.) Schooling And Disability (pp.1-24).Chicago: national Society For the Study Of Education.
2- Edmonds, R.R. (1982). Programs of School Improvement: An Overview, Education Leadership, 40-4-11.
3- Fuchs, D., & Fuchs, L.S. (in Press). Farming the REI Debate: Abolitionists vs. Conservationists. In J.W. Lloyd, A.C. Repp, & N.N. Singh (Eds.) Perspectives On the Integration of a Typical Learners in the Regular Educational Settings. Dekalb, IL: Sycamore.
4- Hodgkinson, H.L. (1985). All One System: Demographics of Education-Kindergarten through Graduate School. Washington, D.C.: Institute for Educational Leadership.
5- Hudson,F., Graham,S., & Waener, M.(1979) Mainstreaming : An Examination of the Attitudes And Needs of Regular Classroom Teacher, Learning Disability Quarterly, 3,558-562.
6- Jones, R.L. Gottlieb, J., Guskin, S., & Yoshida, R.K. (1978). Evaluating Mainstream Programs: Models Caveats, Considerations, And Guidelines. Exceptional Children 44.588-601.

7- Lezotte, L.W. (1989). School /improvement Based on the Effective Schools Research. In D.K. Lipsky & A. Gartner (Eds.) Beyond Separate Edications: Quality Education for all (pp, 25-37). Baltimore, M.D.: Brookes.